अपील सूचना अधिकार संख्या 35/2022(GCMS 2022/122)(आईटीआई पोर्टल नं. 21242869396942) गिरधारी स्वामी निवासी 199 वार्ड नं. 01, चूना फाटक रोड़, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94145–3452) बनाम उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.06.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गिरधारी स्वामी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.04.2022 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.04.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से निम्न सूचना चाही थी:

> अनूपगढ तहसील क्षेत्र के चक 2 एमएसआर के मु.नं. 301/439 के के.नं. 1 ता 12 की 12.5 बीघा भूमि को रेलवे विभाग को आवंटन अथवा अवाप्त करने के आदेश की प्रतिलिपि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी दिनांक 27.06.2022 को कार्यालय में उपस्थित हुआ था तो उसने एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें उसने निम्नानुसार उल्लेख किया है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

- अनूपगढ तहसील के चक 2 एमएसआर के पत्थर नम्बर 301/439 के किला नंबर 1 ता 125 की 8.5 बीघा भूमि गिरदावरी संवत 2024 से 2043 तक रकबाराज थी।
- उपनिवेशन तहसील टूटने के पश्चात जब प्रथम जमाबंदी संवत 2043 बनाई गई तब तत्कालीन पटवारी द्वारा उक्त भूमि रेलवे विभाग के नाम दर्ज कर दी गई है।
- इससे पूर्व संवत 2043 में ही जो भूमि रेलवे विभाग द्वारा अवाप्त की गई है तो उनके अवाप्ति आदेश का क्रमांक तत्कालीन गिरदावरी में दर्ज किया गया है एवं नामांतरण स्वीकृति करवाया गया।
- परन्तु इस भूमि का न ही नामांतरण दर्ज किया गया है ना ही गिरदावरी में नोट लगाया गया है। इसी कारण जो भूमि वर्तमान में रेलवे विभाग के नाम दर्ज है उनकी अवाप्ति आदेश अथवा आवंटन आदेश की प्रतिलिपि चाही गई है।

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपने पत्र क्रमांक 1131 दिनांक 20.06.2022 से अपील का निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार सादर प्रेषित है:

1. अपीलार्थी [illegible] 212541921753969 दिनांक 11.04.2022 में सूच[illegible] निम्नानुसार पृष्ठांकित कर चांही गई थी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

- अनूपगढ़ तहसील क्षेत्र के चक 2 एमएसआर के मु.नं. 301 / 439 के कि.नं. 1 ता 15 की 12.5 बीघा भूमि को रेलवे विभाग को आवंटन अथवा अवाप्त करने के आदेश की प्रतिलिपि (प्रति संलग्न)

2. श्रीमान्‌जी कार्यालय हाजा के पत्रांक 5838904821 दिनांक 27.04.2022 के जरिये आवेदन को विवरण उपलब्ध करवाने बाबत लिखा गया था (प्रति संलग्न) परन्तु आवेदक द्वारा पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं करवाने के कारण कार्यालय हाजा के पत्रांक 4418620277 दिनांक 16.05.2022 के जरिये आवेदक का आवेदन खारिज कर दिया गया है।(प्रति संलग्न)

-sd-

राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

चूंकि **उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा** अपीलार्थी को अपने पत्र दिनांक 16.05.2022 से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं करवाने के कारण उसका प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही दे[illegible] **निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक** रू[illegible]पक्ष से सम्बन्धित नहीं **होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संस[illegible]ों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वें स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है, इसलिए उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, वह सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि वांछित सूचनाओं की समस्त जानकारियां उपलब्ध करवा दी जावे तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील निरस्तारित की जाती है आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर